प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 18.09.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी

नाबालिग के साथ छेड़छाड़, घर में घुसकर घटना करने एवं गाली-गलौज के आरोप में 01 अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास एवं कुल ₹25 हजार अर्थदण्ड

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं कठोर दण्ड दिलाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली महोदय एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर जघन्य अपराध के मामले में न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना कांट पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों एवं कुल 06 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई। पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-42, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम बनकटा बबौरी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर को 04 वर्ष के कारावास एवं कुल ₹25,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कांट पुलिस की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग को न्याय, अभियुक्त को सजा

दिनांक 15.07.2018 को वादी द्वारा थाना कांट में लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी दौरान अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम बनकटा बबौरी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा घर में आकर उसके साथ अश्लील हरकत की गई तथा गाली-गलौज की गई। मामले की गंभीरता एवं वादी की तहरीर के आधार पर थाना कांट पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान उपलब्ध भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र किशनलाल को 04 वर्ष के कारावास एवं कुल ₹25,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण

श्याम बाबू पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम बनकटा बबौरी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण का विवरण

मु0अ0सं0-456/2018, धारा 452, 354, 504 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।

प्रकरण में अभियुक्त श्याम बाबू द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने, घर में प्रवेश कर घटना करने एवं गाली-गलौज करने का आरोप था। प्रकरण में थाना पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को मजबूती से रखा गया।

परिणामस्वरूप **माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त श्याम बाबू पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम बनकटा बबौरी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर को 04 वर्ष के कारावास एवं कुल ₹25,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जघन्य अपराधों में अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुँचाने के साथ-साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उन्हें कठोर दण्ड दिलाने का अभियान निरन्तर जारी है। ऑपरेशन कन्विक्शन के माध्यम से अपराधियों में कानून का भय एवं आमजन में सुरक्षा का विश्वास कायम करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।